

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) आजमगढ़।

कैविएट संख्या-७४/२०२२

बहादुर राजभर आदि

बनाम

रामवृक्ष राजभर आदि

दिनांक-२१.०५.२०२३

कैविएट पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि उक्त पत्रालवी दिनांक ०१.११.२०२२ को दाखिल की गयी थी, जिसकी समय सीमा पूर्ण हो गयी है। अतः उक्त पत्रावली को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

तदनुसार कैविएट पत्रावली निस्तारित।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार सिंह IX)

सिविल जज (सी०डि०),

आजमगढ़।